संख्या:16/2019/64बीपी/35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस. यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 जून,2019

विषयः बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 परियोजनाओं की शासनादेश सं0-24/2018/114 बीपी/35-1-2018 दिनांक 29 अगस्त,2018 द्वारा रू. 255.35 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 145.37 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसकेसापेक्ष विभाग द्वारा रू. 42.30 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि रू. 103.07 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में समर्पित कर दी गई।इस प्रकार प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुए व्यय को समायोजित करते हुए रू. 213.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने हेतु बचती है। एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत परियोजनाओं के चालू कार्यों हेतु विभागीय मांग के अनुरूपद्वितीय किश्त के रूप में रू. 106.44 करोड़ (रूपये एक सौ छः करोड़ चौव्वालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	**अनुमोदित लागत**	**वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय**	**अवमुक्त धनराशि**
1	बण्डई डैम प्रोजेक्ट(अवशेषकार्य)	70.74	35.37	31.83
2	मझगवांचिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	18.24	2.96	10.00
3	कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	76.49	2.58	36.61
4	शहजाद बांधस्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	89.88	1.39	28.00
	योग	**255.35**	**42.30**	**106.44**

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक29 अगस्त,2018की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगाऔर यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च,2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
3. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का व्यय करने के पश्चात वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मांग प्रस्तुत करने पर अवशेष धनराशि देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाईविभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-16/2019/64बीपी(1)/35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:16/2019/64बीपी/35-1-2019 दिनांक 04 जून,2019 का संलग्नक

(करोड़ रू. में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	लेखाशीर्ष
1	बण्डई डैम प्रोजेक्ट(अवशेषकार्य)	70.74	31.83	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय- 04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 85-बण्डई डैम परियोजना(अवशेष कार्य) (के.100/रा.0-के.)- 24- वृहद निर्माण कार्य
2	मझगवांचिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	18.24	10.00	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय- 04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-86-स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना (के.100/रा.0-के.)-24- वृहद निर्माण कार्य
3	कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	76.49	36.61	
4	शहजाद बांधस्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	89.88	28.00	
		255.35	**106.44** **(रूपये एक सौ छः करोड़ चौव्वालीस लाख मात्र)**	

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।